UPMZ010078212026

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।**

**पीठासीन अधिकारी–** (Smt. Garima Singh-I), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06224**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3319/2026**

1. अमित कश्यप पुत्र श्री उदयवीर कश्यप निवासी मकान नम्बर 2/25 ब्लॉक संख्या–2 खिचड़ीपुर गाजीपुर, दिल्ली। हाल पता निवासी 9/128 ब्लॉक 9 खीड़ीपुर पड़पड़गंज गाजीपुर, दिल्ली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अंतर्गत धारा– 109(1) बी.एन.एस.
व 3/25/28 आर्मस एक्ट
मु0 अ0 सं0–253/2026
थाना–कोतवाली, जिला–मुजफ्फरनगर

**दिनांक–03.07.2026**

1. आवेदक/अभियुक्त अमित कश्यप की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मु0 अ0 सं0–253/2026, धारा– 109(1) बी.एन.एस. व 3/25/28 आर्मस एक्ट, थाना–कोतवाली, जिला मुजफ्फरनगर के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थनापत्र, प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार/पत्नी प्रीती के शपथपत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी द्वारा इस आशय की तहरीर थाने पर दी गयी कि दिनांक 01/06/2026 को पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्ति की चैंकिग के मोटरसाईकिल को रोकने के दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किये गये। अभियुक्त मुकेश ठाकुर के पैर में गोली लगने के कारण वह पकड़ा गया तथा अभियुक्त अमित कश्यप मौके से भाग गया।

3. जमानत के आधार के रूप मे अभियुक्त के द्वारा यह बताया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी रिश्तेदारी में गया था, तथा प्रार्थी/अभियुक्त को थाना की पुलिस ने रिश्तेदार के घर उठाकर थाने लाई और झूठा मुकदमा लगा दिया। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से जिला

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.07.04 12:49:34 IST
Reason: Bail order
Location: District and Sessions Court-6
MZN

कारागार में निरूद्ध है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद उचित जमानत पर रिहा फरमाये जाने की कृपा करे।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाये।

6. जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रपत्रो के परिशीलन के विदित होता है कि फर्द बरामदगी में अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने का आक्षेप है। अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर चलाई गयी गोली किसी पुलिस कर्मी को नहीं लगी और पुलिस कर्मियों द्वारा सूक्ष्म फायरिंग से सहअभियुक्त के पैर में गोली लगना बताया गया है। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से जिला कारगार में निरुद्ध है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर कई मुकदमे लम्बित है, परन्तु अभियुक्त के दोषसिद्ध होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण सामने नहीं आये है। अतः मामले के गुणदोष पर बिना कोई टिप्पणी किए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है।

## <u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अमित कश्यप की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन 70,000/– रूपये (सत्तर हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो विश्वनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तो पर रिहा किया जाता है–

1– प्रार्थी/अभियुक्त गवाहो को डराने/धमकाने अथवा प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने व्यक्तिगत बंध पत्र पर तथा जमानतनामें के द्वारा बंध पत्र पर अपना आधार नम्बर तथा चालू मोबाईल नम्बर अंकित किया जायेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

जमानत आदेश की प्रति द्वारा ई–मेल जिला कारागार मुजफ्फरनगर प्रेषित की जाये।

**(गरिमा सिंह –I)**
अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।
J.O. Code –UP06224